भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2580
22 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

फ्रीहोल्ड स्वामित्व अधिकार

2580. श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने उन लीजहोल्ड वाणिज्यिक संपत्तियों/दुकानों को फ्रीहोल्ड स्वामित्व अधिकार देने की घोषणा की है जो डीडीए द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर निजी बिल्डरों द्वारा निर्मित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इन सभी वाणिज्यिक संपत्तियों को कब तक फ्रीहोल्ड कर दिया जाएगा?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 13.12.2019 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें डीडीए द्वारा निजी बिल्डरों/डेवलपर्स को पट्टे पर दिए गए वाणिज्यिक भूखंडों पर इमारतों में व्यक्तिगत स्थान/दुकान खरीदार की संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने की अनुमति दी गई है।

(ख): 14.12.2022 की स्थिति के अनुसार 183 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन आवेदनों की स्थिति निम्नानुसार है:-

अनुमोदित	19
अस्वीकृत	01
कमी (आवेदक के पास लंबित)	70
प्रक्रियाधीन (डीडीए में)	93
कुल	183

लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में रूपांतरण की नीति एक वैकल्पिक नीति है, इसलिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

****